अध्याय 12

परिवहन

2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 67 लाख 80 हजार है। इस जनसंख्या की यातायात संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए दिल्ली में 17882 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो सभी प्रशानिक एजेंसियो जैसे पीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी, आई एंड एफसी, डीडीए आदि से संबद्ध है। दिल्ली मेट्रो, कैब, ऑटो और ई–रिक्सा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का आधार है, जो सीएनजी/विद्युत संचालित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सतत प्रयासों के फल स्वरूप शहर में सुरक्षित, स्थायी, किफायती, जनोन्मुखी और सक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान की गयी है। दिल्ली अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर और नियंत्रण करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के प्रयास कर रहा है। परिवहन नीति में दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक/साझा परिवहन और मालवाहक वाहनों के विद्युतीकरण में मदद करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। विभिन्न वाहन श्रेणियों में, विशेषकर दुपहिया वाहनों की व्यापक श्रेणी, सार्वजनिक/साझा परिवहन वाहनों और मालवाहक वाहनों में विद्युत वाहन अपनाने की गति तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरणों में 25 प्रतिशत विद्युत वाहन हों।

1.1 स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए परिवहन के सामाजिक–पर्यावरणीय–आर्थिक पक्ष के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। समय के साथ साथ इन सभी घटकों का एक साथ विकास आदर्श शहरी परिवहन प्रणाली का आधार होगा। ये सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात् एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना अनिवार्य है। दिल्ली में निम्नलिखित सभी घटकों के बीच संतुलन बनाते हुए सुचारू परिवहन व्यवस्था काम कर रही है।

- पर्यावरणीय सतत सुरक्षा के संदर्भ में दिल्ली ने सीएनजी बसों की पहल की है और विद्युत चालित वाहन नीति लागू करने के साथ साथ ई–रिक्शा सुविधा की अनुमति दी है।
- आर्थिक पक्ष से सुविधाजनक सतत परिवहन प्रणाली के संदर्भ में दिल्ली में आने जाने वालों के लिए किराए का निर्धारण किफायती है। सरकार ने काफी लंबे समय से बस किरायों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसके अलावा बसों में विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती पास और महिलाओं के लिए निशुल्क आने जाने की सुविधा दी गई है।
- सामाजिक–सांस्कृतिक सतत सुविधा के संदर्भ में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस मार्शल की तैनाती की गई है।
- परिवहन प्रणाली की प्रभावकारिता के संदर्भ में दिल्ली में मजबूत सड़क अवसंरचना है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सुविधा मुख्य रूप से डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों तथा मेट्रो सेवा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) रा.रा.क्षे. सहित दिल्ली के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए रेपिड परिवहन प्रणाली उपलब्ध करा रहा है।

2. परिवहन ढांचा

2.1 सड़क नेटवर्क

दिल्ली में सड़क नेटवर्क का विकास और रख–रखाव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के रख–रखाव के तहत आने वाले सड़क नेटवर्क की लंबाई विवरण 12.1 में दी गई है।

विवरण 12.1

दिल्ली में एजेंसीवार सड़क नेटवर्क की स्थिति

(31 मार्च, 2021 तक, लंबाई लेन कि.मी. में)

क्र सं	एजेंसी	सड़क लंबाई
1	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	512.47 लेन किमी
2	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	7437.45 लेन किलोमीटर
3	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	4753.18 लेन किलोमीटर
4	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	1290 लेन किलोमीटर
क्र सं	**एजेंसी**	**सड़क लंबाई**
5	लोक निर्माण विभाग (दिल्ली सरकार)	
क	राष्ट्रीय राजमार्ग	37.49 लेन किमी
ख	अन्य सड़कें	1318.42 लेन किमी
6	डीएसआईआईडीसी	2285.44 लेन किलोमीटर
7	आई एंड एफसी	297.52 किलोमीटर
8	डीडीए	435 लेन किलोमीटर

स्रोतः दिल्ली हैंडबुक 2021

2.2 सड़क अवसंरचना

2.2.1 पैदल पारपथ सुविधाएं – फुटओवर ब्रिज (एफओबी)

दिल्ली में यातायात नियमों और सड़क निर्माण कार्य को बस यात्रियों सहित साइकिल चलाने वालों और पैदल चलने वालों का ध्यान रखना होगा। वित्त वर्ष 2020–21 के अंत तक दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगभग 90 फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं। वित्त वर्ष 2021–22 में दिसंबर महीने तक निम्नांकित 9 एफओबी का निर्माण पूरा हो चुका है।

1 आरटीआर मार्ग, पेट्रोल पम्प, नई दिल्ली
2 नेल्सन मंडेला मार्ग पर बाबा गंग नाथ मंदिर
3 पंखा रोड़ पर श्रीमति इंदरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निकट
4 भीष्म पितामह मार्ग

5 मथुरा रोड़ पर हरकेश नगर
6 एबी रोड़ पर शिव पार्वती
7 शकूरपुर दादा देवता मंदिर, आईआरआर, लॉरेंस रोड़ पर एफओबी
8 रोहतक रोड़, एनएच–10 पर नांगलोई फ्लाई ओवर के निकट मेट्रो पिलर नम्बर 364–365 के बीच एफओबी।
9 प्रशांत विहार पर एफओबी

निम्नलिखित एफओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना हैः–

1) सेलेक्ट सिटी मॉल पर एफओबी
2) श्री अरविंदो मार्ग पर पीटीएस बस स्टॉप के निकट एफओबी
3) द्वारका रोड़ पर पहलादपुर बस स्टैंड के निकट एफओबी
4) मुल्तान नगर में मेट्रो पिलर नम्बर 232 और 233 के बीच एफओबी
5) डिविजन सी एंड एनडी रोड़ नई दिल्ली की सब–डिविजन–3 के अतर्गत रिंगरोड़ पर मेटकॉफ हाउस मेन गेट के निकट फुट ओवर ब्रिज का निर्माण

2.2.2 फ्लाईओवर और पुल/कॉरीडोर

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर अनेक परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं चलाई गईं। राजधानी में वर्तमान में 87 फ्लाई ओवर हैं।

- **बारापुला फेज–3** : सराय कालेखां से मयूर विहार फेस–1 तक के खंड को 1260.63 (निविदा लागत 964 करोड़ रुपये) करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। दिसंबर 2021 तक 804.83 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। कार्य प्रगति पर है और 8.5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में है। दिसम्बर 2021 तक 81.8 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। 31 मार्च 2023 तक इसके पूरा होने की संभावना है।

- **आईआईटी से एनएच–8 तक आउटर रिंग रोड के कॉरीडोर का विकास** : आउटर रिंग रोड पर पूर्व में मौजूदा मुनीरका फ्लाईओवर से पश्चिम में आर्मी आरआर अस्पताल तक को जोड़ने वाले फ्लाईओवर के (भाग–क) का निर्माण कार्य और इनर रिंग रोड और बीजे मार्ग के मोड़ पर अंडरपास (भाग–ख) के कार्य को 364 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी मिली है। ओआरआर मार्ग पर मुनीरका से आरआर अस्पताल तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बीजे मार्ग और इनर रिंग रोड के मोड पर अंडरपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2020 तक 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2021 तक 338.98 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर दी गई है।

- **मथुरा रोड पर आश्रम चौक के निकट अंडरपास का निर्माण** : इस परियोजना की अनुमानित लागत, सेवाओं के स्थानांतरण सहित, 77.92 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य जारी है और दिसंबर 2021 तक 88 प्रतिशत काम हो चुका है। दिसंबर 2021 तक निर्माण पर 53.50 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

- **(i) रामपुरा में एनएच–10, (ii) त्रिनगर/इंद्रलोक और (iii)कर्मपुरा, दिल्ली में पुलों का निर्माण कार्य** : त्रिनगर/इंद्रलोक, कर्मपुरा और रामपुरा, दिल्ली में नजफगढ़ नाले पर पहले से निर्मित पुल के हिस्से को छोड़कर, आरओडब्ल्यू का काम पूरा करने के लिए, पुल के दोनों ओर सड़क मरम्मत, जल निकासी योजना, फुटपाथ निर्माण प्रबंध के लिए 85.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से योजना को मंजूरी दी गई। परियोजना का काम जारी है और दिसंबर 2021 तक लगभग 93 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2021 तक 62.12 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। काम 31 मार्च 2022 तक पूरा हो जाने की आशा है।

- **आश्रम फ्लाईओर से डीएनडी फ्लाईओवर तक विस्तार** : इस परियोजना की अनुमानित लागत 128. 95 करोड़ रुपये है। दिसम्बर 2021 तक इस कार्य पर 62.52 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। परियोजना कार्य जारी है और इसके 31 अगस्त 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

- **गोपालपुर रेडलाइट–जगतपुर ब्रिज पर आउटर रिंग रोड पर हाफ अंडर पास का निर्माण कार्य** : इस परियोजना पर अनुमानित लागत 38.17 करोड रुपये आंकी गई है। 63 प्रतिशत कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा हो चुका है। दिरंबर 2021 तक 20.31 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। निर्माण कार्य जारी है और 31 मार्च 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

- **नजफगढ़ नाले पर बसई दारापुर से पूर्ण आरओडब्ल्यू को कवर करने के लिए पुल का निर्माणः** इस परियोजना की अनुमानित लागत 48.60 करोड़ रुपये है। दिसम्बर 2021 तक 93 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। दिरंबर 2021 तक 40.00 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। निर्माण कार्य जारी है और 31 मार्च 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

- **एनएच–10 पर नजफगढ़ नाले पर पुलों का निर्माण कार्यः** इस परियोजना की अनुमानित लागत 42. 21 करोड़ रुपये है। दिसम्बर 2021 तक 67 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। दिरंबर 2021 तक 27. 60 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। निर्माण कार्य जारी है और 31 मई 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

2.3 बस टर्मिनल और डिपो

संबंधित परियोजना का उद्देश्य बस से यात्रा करने वालों के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का निर्माण करना है। इस समय 58 बस डिपो कार्य कर रहे हैं और 12 बस डिपो का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिल्ली में 16 बस टर्मिनल इस्तेमाल में हैं। सेक्टर–4 द्वारका, सेक्टर 12 द्वारका, विकासपुरी और नरेला में नए बस टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। मुंडेलाकलां और घुम्मनहेड़ा में डिपो का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रोहिणी में दो में से एक डिपो का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है।

2.4 अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी)

दिल्ली में मौजूदा समय में तीन अंतराज्यीय बस टर्मिनल कार्यरत हैं – कश्मीरीगेट, सराय कालेखां और आनंद विहार। कश्मीरीगेट आईएसबीटी का नवीनीकरण किया गया है और यह अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ काम कर रहा है। सराय काले खां और आनंद विहार आईएसबीटी की परियोजना लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः विकसित की जाएगी।

2.5 रेल नेटवर्क

देश के रेल मानचित्र पर दिल्ली एक प्रमुख जंक्शन है और मुख्य महानगरों के साथ सीधे जुड़ा है। दिल्ली में पांच मुख्य रेलवे स्टेशन हैं : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और आनंद विहार। पटपड़ गंज और तुगलकाबाद मे कंटेनर डिपो हैं।

2.6 मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस)

मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य सड़क परिवहन प्रणाली से समुचित रूप से जुड़ी प्रदूषण रहित और कुशल रेल आधारित परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 3 मई 1995 को पंजीकृत की गयी थी। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और भारत सरकार की समान इक्विटी भागीदारी है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 348.121 किलोमीटर का है। वर्तमान में फेज–4 का निर्माण कार्य प्रगति पर है और फेज–1 से 3 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ब्यौरा नीचे दिय गया है।

डीएमआरसी–फेज–1

- डीएमआरसी के फेज–1 का निर्माण कार्य वर्ष 2002 में 10,571 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ शुरू किया गया था। इसमें रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 1,777 करोड़ रुपये की थी जो डीएमआरसी को जारी की जा चुकी है।
- फेज–1 की कुल लंबाई 64,751 किलोमीटर है और इसमें स्टेशनों की संख्या 59 है।
- फेज–1 का निर्माण कार्य वर्ष 2006 मे पूरा हो चुका था।
- फेज–1 से फेज–3 तक मेट्रो लाइनों की कुल लंबाई 348.121 कि.मी. है, जिसमें एनसीआर में 53.62 कि.मी. और एयरपोर्ट लाइन की 22.91 कि.मी. शामिल हैं।

फेज–1 (दिल्ली में)

क्र.स.	लाइन	कोरीडॉर का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्टेशनों की संख्या
1	लाइन 1 (रेड)	शाहदरा–तीस हजारी	8.349	6
		तीस हजारी– इंद्रलोक	4.872	4
		इंद्रलोक–रिठाला	8.835	8
2	लाइन 2 (येलो)	विश्व विद्यालय–कश्मीरी गेट	4.06	4
		कश्मीरी गेट–केन्द्रीय सचिवालय	6.621	6
3	लाइन 3 (ब्लू)	बाराखम्बा–द्वारका	22.736	22
		बाराखम्बा– इन्द्रप्रस्थ	2.804	3
		द्वारका सब–सिटी	6.474	6
		कुल	**64.751**	**59**

डीएमआरसी–फेज–2

- डीएमआरसी के फेज–2 का निर्माण कार्य वर्ष 2005 में 19.231 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ शुरू किया गया था। इसमें रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 4691 करोड़ रुपये की थी जो डीएमआरसी को जारी की जा चुकी है।
- फेज–2 की कुल लंबाई 123.3 किलोमीटर है, जिसमें 22.47 किलोमीटर हाईस्पीट एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन और 16.315 किलोमीटर एनसीआर लाइनें शामिल है। इसमें स्टेशनों की संख्या 86 है (जिसमें 13 स्टेशन एनसीआर लाइन पर हैं)।
- फेज–2 का निर्माण कार्य वर्ष 2012 मे पूरा हो चुका था।

क्र.स.	लाइन	कोरीडॉर का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्टेशनों की संख्या
1	लाइन 1 एक्सटेंशन (रेड)	शाहदरा–दिलशाद गार्डन	2.858	3
2	लाइन 2 एक्सटेंशन (येलो)	विश्व विद्यालय–जहागीरपुरी	6.38	5
		केन्द्रीय सचिवालय–कुतुब मीनार	11.764	10
		कुतुब मीनार–हरियाणा बॉर्डर	8.771	4
3	लाइन 3 एक्सटेंशन (ब्लू)	इन्द्रप्रस्थ –यमुना बैंक	2.173	1
		यमुना बैंक– न्यू अशोक नगर	5.849	4
		द्वारका सेक्टर 9– द्वारका सेक्टर 21	2.279	2
4	लाइन 4	यमुना बैंक–आनंद विहार	6.246	6
5	लाइन 3 एक्सटेंशन (ग्रीन)	इंद्रलोक–मुंडका	14.192	14
		कीर्ति नगर– अशोक पार्क	3.406	2
6	लाइन 3 एक्सटेंशन (वायलेट)	केन्द्रीय सचिवालय–सरिता विहार	15.336	13
		सरिता विहार–बदरपुर	4.822	3
7	एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन	हाई स्पीड एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन–नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से द्वारका सेक्टर 21	22.909	6
		उप जोड़	**106.985**	**73**
		एन सी आर में		
1	लाइन 2	हरियाणा बॉर्डर–हुडा सिटी सेंटर गुडगांव	7.05	5
2	लाइन 3	न्यू अशोक नगर–नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा	7	6
3	लाइन 4	आनंद विहार–वैशाली	2.265	2
		उप जोड़	**16.315**	**13**
		कुल	**123.3**	**86**

डीएमआरसी–फेज–3

- डीएमआरसी के फेज–3 का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में 39785 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ शुरू किया गया था। इसमें रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 8407 करोड़ रुपये की थी जो डीएमआरसी को जारी की जा चुकी है।

- फेज–3 की कुल लंबाई 160.07 किलोमीटर है, (37.307 किलोमीटर एनसीआर लाइनों सहित) और इसमें स्टेशनों की संख्या 109 है (जिसमें 27 स्टेशन एनसीआर लाइन पर हैं)

- फेज–3 का निर्माण कार्य वर्ष 2021 मे पूरा हो गया है।

क्र.स.	लाइन	कोरीडॉर का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्टेशनों की संख्या
1	लाइन 2	एक्सटेंशनः जहांगीरपुरी–बादली	4.373	3
2	लाइन 5	एक्सटेंशनः मुंडका–टिकरी बॉर्डर	6.308	4
3	लाइन 5	एक्सटेंशनः टिकरी बॉर्डर–बहादुरगढ़	4.875	3
4	लाइन 6	एक्सटेंशनः केन्द्रीय सचिवालय–कश्मीरी गेट	9.272	7
5	लाइन .7	मजलिस पार्क–शिव नगर	59.242	38
6	लाइन .8	जनकपुरी पश्चिम–कालिंदीकुंज	33.499	23
7	लाइन .9	द्वारका–नजफगढ़	4.303	3
8	लाइन .9	एक्सटेंशनः से ढांसा बस स्टैंड	0.891	1
		उप जोड़	**122.76**	**82**
		एनसीआर में		
1	लाइन 6	एक्सटेंशनः बदलपुर–फरीदाबाद	13.561	9
2	लाइन 6	एस्कोर्ट मुजेसर – बल्लभगढ़	3.35	2
3	लाइन 8	कालिंदीकुज–बोटनिकल गार्डन	3.962	2
4	लाइन 1	दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद	9.635	8
5	लाइन 3	नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रोनिक सिटी	6.799	6
		उप जोड़	**37.307**	**27**
		कुल	**160.07**	**109**

डीएमआरसी–फेज–4

- फेज–4 के दो भाग हैं और प्रत्येक में तीन कॉरीडोर शामिल हैं।

- पहले तीन वरीयता कॉरीडोर का निर्माण कार्य वर्ष 2020–21 में 24,949 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ शुरू किया गया था। इसमें रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 5887 करोड़ रुपये की थी, जिसमें अतिरिक्त 244 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसमें से दिसम्बर 2021 तक डीएमआरसी को जारी 2774 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

- फेज–4 के पूरा होने एनसीआर लाइनों सहित मेट्रो लाइनों की कुल लम्बाई करीब 457 किलोमीटर हो जायेगी।

- डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो फेज–4 कें अगले तीन चरणों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट–डीपीआर प्रस्तुत कर दी है। इसके अंतर्गत रिठाला से नरेला (मेट्रो लाइट) और लाजपत नगर से साकेत जी–ब्लॉक और इन्द्रलोक से इन्द्रप्रथ के मेट्रो कॉरीडोर शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 12587 करोड़ रुपये है जिसमें दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 2993 करोड़ रुपये है।

- रिठाला और नरेला कॉरीडोर मेट्रो लाइट पर आधारित होगा, जो हल्की रेल ट्रांजिट सिस्टम है, जिसकी आयोजना भारत में कम यात्रियो वाले शहरों और मौजूदा मेट्रो प्रणालियों के लिए फीडर सिस्टम के रूप में की गयी है। यह लाइन कम यात्री क्षमता के साथ कम लागत पर जरूरत पूरी करेगी।

क्र.स.	कॉरीडोर का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्टेशनों की संख्या
फेज–4 (प्रथम 3 वरीयता कॉरीडोर)			
1	मजलिस पार्क–बुराड़ी–मौजपुर	12.318	8
2	आरके पुरम–जनकपुरी पश्चिम	29.262	22
3	एरोसिटी–साकेत–तुगलकाबाद	23.622	15
फेज–4 (अन्य 3 कॉरीडोर)			
1	लाजपत नगर–साकेत जी–ब्लॉक	12.377	10
2	इन्द्रलोक–इन्द्रप्रस्थ	8.385	8
3	रिठाला–बवाना–नरेला (मेट्रो लाइट)	22.915	19
	कुल	**85.257**	**67**

2.7 डीएमआरसी फीडर बस सर्विस

डीएमआरसी, एफएएमई–2 योजना के तहत 10 नए रूट पर चलाने के लिए 100 एसी फीडर ई–बसें खरीद की प्रक्रिया में हैं। इन 100 बसों में से 25 बसें अगस्त 2021 तक संचालित की गई और शेष 75 बसें चरणबद्ध तरीके से दिसम्बर 2021 तक मिल जाएंगी।

2.8 रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र–2032 के लिए परिवहन संबंधी कार्यात्मक योजना में प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने के लिए रेल आधारित तीव्र गति एवं उच्च आवृत्ति वाली मल्टी–मॉडल परिवहन प्रणाली पर विशेष बल देते हुए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के विकास की सिफारिश की थी ताकि एनसीआर की आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए भविष्य की जैविक मांग के साथ–साथ गतिशीलता की मांग पूरी की जा सके ।

क्षेत्रीय रेलों को यूरोपीय ट्रेनों की तर्ज पर 180 किमी प्रति घंटे की गति से चलाने की परिकल्पना की गई है, जो शहर के बाहरी इलाके को शहर के केंद्र से जोड़ने वाले बड़े शहरी समूह या महानगरीय क्षेत्र के भीतर यात्री सेवाओं को पूरा करती है। 300 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने वाले हाई–स्पीड रेलवे नेटवर्क पर लंबी दूरी के स्टेशनों की तुलना में सेवाओं में कम दूरी पर अधिक संख्या में हॉल्ट हैं, लेकिन मेट्रो रेल की तुलना में कम हॉल्ट और उच्च गति है।

क्षेत्रीय रेल भारत में एक नई अवधारणा है, लेकिन बड़े महानगरीय शहरों में यह सामान्य सेवा है, जो कम भीड़भाड़ वाले उपनगरों में रहने वाले यात्रियों को शहर के केंद्र तक सुरक्षित और त्वरित पहुंच प्रदान करके शहर के केंद्र में भीड़भाड़ कम करने में मदद करती है।

योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल ने एनसीआर में 8 आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की थी, जिनमें से प्रथम चरण में कार्यान्वयन के लिए तीन कॉरिडोर को प्राथमिकता दी गई थी– दिल्ली – मेरठ, दिल्ली – अलवर और दिल्ली–पानीपत। तीन प्राथमिकता वाली आरआरटीएस परियोजनाएं दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'व्यापक कार्य योजना' (सीएपी) और दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने से संबद्ध 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति' की सिफारिश का हिस्सा हैं। इसके अलावा, सभी तीन प्राथमिकता वाली आरआरटीएस परियोजनाओं को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में शामिल किया गया है, जिसे आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया है।

आरआरटीएस मल्टीमॉडल एकीकरण द्वारा समर्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एकीकृत गतिशीलता समाधान प्रदान करेगा। इससे न केवल महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होंगे, जैसे प्रदूषण में कमी, यात्रा में समय की बचत, वाहन–संचालन लागत में कमी, सड़क पर दबाव और दुर्घटनाओं में कमी (आदर्श सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि) के कारण बचत होगी, बल्कि व्यापक आर्थिक लाभ और अर्थव्यवस्था–व्यापी लाभ भी होंगे, जैसे समूह लाभ, श्रम और उद्योगों की उत्पादकता और उत्पादन में

सुधार, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार और पूरे एनसीआर के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। प्राथमिकता आधार पर चयनित तीन आरआरटीएस कॉरीडोर को एक साझा एलिवेटिड टर्मिनस स्टेशन सराय काले खां, दिल्ली से शुरु किए जाने की योजना है। इस प्रकार के साझा टर्मिनस स्टेशन से इन तीनों कॉरीडोर के बीच अंतर–सम्पर्क और अंतर–संचालन सुविधा होगी।

सार्वजनिक परिवहन में विभिन्न माध्यमों की हिस्सेदारी

Share of Public Transport

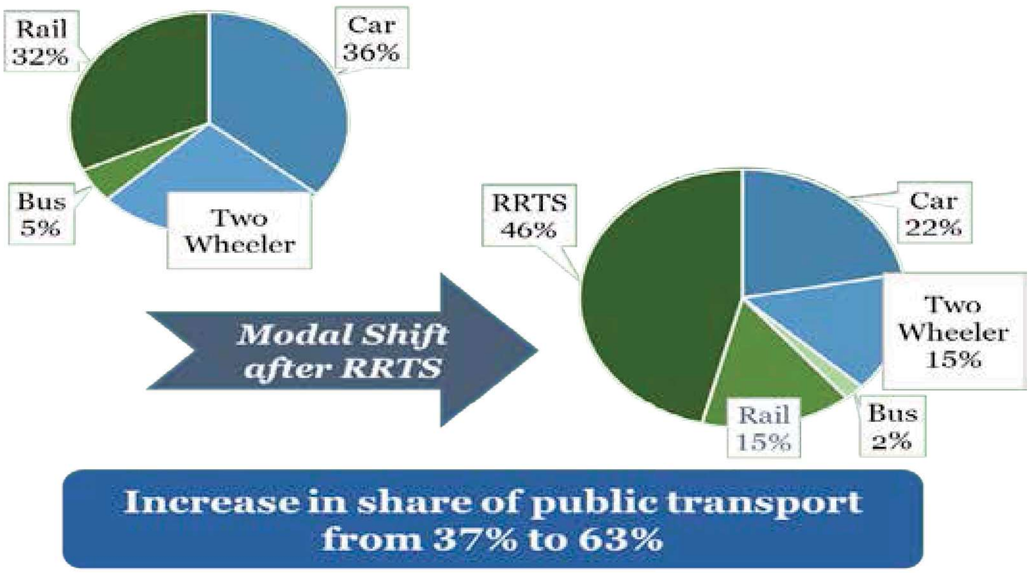

तीन प्राथमिकता वाले आरआरटीएस कॉरिडोर को दिल्ली में एक सामान्य एलिवेटेड टर्मिनस स्टेशन सराय काले खां से शुरू करने की योजना है। इस तरह के एक सामान्य टर्मिनस स्टेशन से तीन कॉरिडोर के बीच इंटर–कनेक्टिविटी/इंटर–ऑपरेबिलिटी की सुविधा होगी।

दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोरः दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर 82.15 किलोमीटर लंबा है जिसमें 15 आरआरटीएस स्टेशन है। 13 किलोमीटर के दिल्ली खंड में 3 स्टेशन हैं – शास्त्रीनगर, आनंद विहार और सराय काले खां। परियोजना के पूरा होने की लागत 30,274 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का योगदान 1180 करोड़ रुपये है। कम से कम ध्वनि प्रदूषण के साथ पूरा ट्रैक गिट्टी रहित होगा और बिजली की आवश्यकता को अनुकूलित करने के लिए रीजेनरेटिंग ब्रेक का उपयोग किया जाएगा। परियोजना को मार्च 2019 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया गया। पूरे कॉरिडोर पर सिविल निर्माण कार्य पूरे जोरों पर हैं और समय पर किए जा रहे हैं। दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर का वाणिज्यिक संचालन 2025 तक शुरू हो जाएगा।

- **दिल्ली–गुरुग्राम–रिवाड़ी–अलवर कॉरीडोरः** आरआरटीएस कॉरीडोर तीन चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा : फेज–1 : दिल्ली–गुरुग्राम–रिवाड़ी–एसएनबी

(शाहजहांपुर–नीमराना–बहरोड़) शहरी परिसर। फेज–2 : एसएनबी शहरी परिसर – सोटानाला आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र और फेज–3 एनएनबी शहरी परिसर–अलवर। दिल्ली–गुरुग्राम–एसएनबी कॉरिडोर को दिल्ली–अलवर कॉरिडोर के फेज–1 में लागू किया जा रहा है। इस कॉरीडोर की कुल लंबाई 106 किलोमीटर और 16 स्टेशन हैं, जिसमें दिल्ली खंड 21.67 किलोमीटर है, जिसमें 4 स्टेशन हैं। यह दिल्ली के सराय काले खां से शुरु होकर एसएनबी (राजस्थान में) पर समाप्त होगा और आईएनए, एरोसिटी, गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा आदि से होकर गुजरेगा। परियोजना पूरी किए जाने की लागत 37.897 करोड़ अनुमानित है, जिसमें रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का योगदान 3,261 करोड़ रुपये है। परियोजना भारत सरकार की मंजूरी के लिए विचाराधीन है। परियोजना की निर्माण पूर्व गतिविधियां शुरु हो चुकी हैं तथा भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरु हो जाएगा। एसएनबी–सोटानाला (चरण 2) के लिए डीपीआर को एनसीआरटीसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और राजस्थान सरकार को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

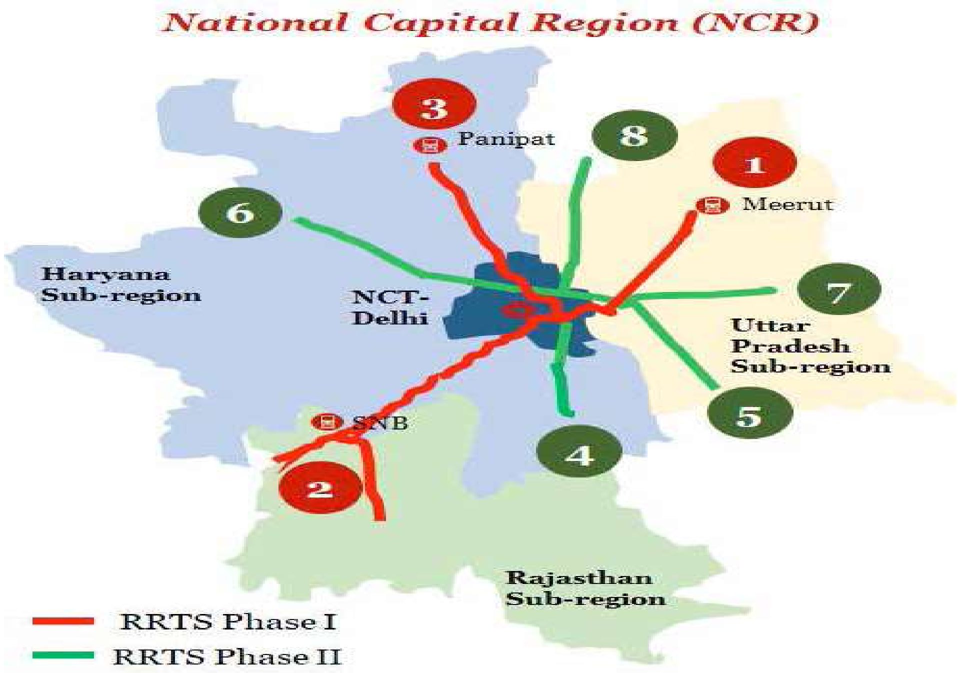

- **दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरीडोर** : आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल मार्ग लंबाई 103.02 किलोमीटर है और इस पर 17 आरआरटीएस स्टेशन होंगे। यह आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से निकलता है और पानीपत पर समाप्त होता है। दिल्ली में प्रस्तावित छह स्टेशन सराय काले खां, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुराड़ी क्रॉसिंग, मुकरबा चौक और अलीपुर। प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली, गन्नौर, समालखा और पानीपत क्षेत्रों के सघन विकास से होकर गुजरता है।

3. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में कार्यरत संस्थान और निकाय

संस्थान/निकाय				
डीटीसी	डीआईएमटीएस	डीटीआईडीसी	एनसीआरटीसी	डीएमआरसी
दिल्ली परिवहन निगम (लाल और हरी बसों का संचालन)	दिल्ली इंटिग्रेटिड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम लिमिटेड (क्लस्टर बसों का प्रबंधन)	दिल्ली परिवहन इन्फ्रा विकास निगम लिमिटेड (बस टर्मिनल पर बस स्टॉप पर साइनेज और विज्ञापन प्रबंध)	रा.रा.क्षे परिवहन निगम (एनसीआर का संतुलित और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करना)	दिल्ली मेट्रो रेल निगम (मेट्रो प्रबंधन)

3.1 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार डीटीसी के लिए बसों की खरीद और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इक्विटी पूंजी जारी करती है। वर्तमान में डीटीसी के पास 35 डिपो का बुनियादी ढांचा है। डीटीसी के बेड़े में 3,760 बसें हैं जिनमें 1256 एसी लो फ्लोर बसें और 2504 नोन–एसी लो–फ्लोर बसें हैं। डीटीसी एनसीआर में परिवहन प्रबंध करने वाली सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। 2020–21 में इसके माध्यम से लगभग 12.24 लाख यात्रियों ने प्रतिदिन सफर किया (जबकि 2019–20 में, यानी कोविड से पहले की अवधि में 33.31 लाख यात्री प्रतिदन) हैं और यह 5.20 लाख किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय करती है। डीटीसी प्रतिदिन शहर में 453 रूटों पर और एनसीआर के 7 रूटों पर बसे प्रचालित करता है।

3.2 दिल्ली एकीकृत बहु–मॉडल ट्रांजिट प्रणाली लिमिटेड (डीआईएमटीएस)

दिल्ली एकीकृत बहु–मॉडल ट्रांजिट प्रणाली लिमिटेड (डीआईएमटीएस) एक शहरी परिवहन और अवसंरचना विकास कंपनी है, जो गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जुलाई 2007 में यह रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और आईडीएफसी फाउंडेशन (एक गैर–लाभकारी संगठन) के बीच समान इक्विटी वाली संयुक्त उपक्रम कंपनी बन गई।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत ब्लूलाइन प्राइवेट स्टेट कैरिएज सिस्टम के प्रतिस्थापन के लिए प्राइवेट स्टेज कैरिएज सर्विस के निगमीकरण की योजना शुरु की। क्लस्टर योजना सकल लागत मॉडल (ओपेक्स मॉडल) पर आधारित है, जिसमें बेड़े के मालिकों को प्राप्त किराए के बदले संचालनगत मानदंडों पर पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। मौजूदा समय में रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में 14 क्लस्टरों के तहत 3,033 क्लस्टर बसें संचालन में हैं।

3.3 दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी) की स्थापना 16 अगस्त 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के पूर्ण स्वामित्व में की गई। यह कंपनी रा.रा.क्षे

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। इस निगम की शुरुआत शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रख–रखाव के उद्देश्य से किया गया है। मौजूदा समय में तीन आईएसबीटी–कश्मीरीगेट, आनंद विहार और सराय काले खां–संचालन में हैं और ये डीटीआईडीसी के नियंत्रण में हैं।

3.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)

एनसीआर में आरआरटीएस के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (यूपी) की राज्य सरकारों के बीच 2011 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेट्रो रेल परियोजनाओं के विपरीत, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रोन्नत किया जाता है, आरआरटीएस एक समाजोन्मुखी, बहु–राज्यीय, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है जिसे राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, आरआरटीएस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो भारत सरकार (50 प्रतिशत) और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है (प्रत्येक में 12.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है)। एनसीआरटीसी के गठन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति जुलाई 2013 में प्राप्त हुई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को लागू करने के लिए एनसीआरटीसी अनिवार्य है, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सके। तीन प्राथमिकता वाले आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, दिल्ली–गुड़गांव–रेवाड़ी–अलवर कॉरिडोर और दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर हैं।

3.5 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी)

दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड 3 मई 1995 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत की गई थी, जिसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की समान इक्विटी भागीदारी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक विश्वस्तरीय मास रेपिड परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) के निर्माण और संचालन के स्वप्न को साकार करना था। डीएमआरसी में भारत सरकार और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार से समान इक्विटी भागीदारी है। इस योजना के तहत रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार का हिस्सा परिवहन विभाग के माध्यम से डीएमआरसी को उपलब्ध कराया जाता है। इसका बुनियादी उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित मास रेपिड परिवहन सुविधा और साथ ही मुख्य मेट्रो पेरिफेरल रूट से रेडियल रूटों तक इंटर–चेंज सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 348.121 किलोमीटर का है। रा.रा. क्षे दिल्ली सरकार द्वारा एमआरटीएस को फेज–3 और फेज–4 के लिए जारी की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा विवरण–12.2 में दिया गया है।

विवरण 12.2

रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार द्वारा एमआरटीएस को फेज–3 और फेज–4 के लिए जारी की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.स	वर्ष	इक्विटी	भूमि अधिग्रहण के लिए अधीनस्थ ई–डेट	राज्य करों के लिए अधीनस्थ ई–डेट	केन्द्रीय करों के लिए अधीनस्थ ई–डेट	कुल
			फेज–III			
1	2011-12	749.70	216.00	-	294.00	1,259.70
2.	2012-13	749.70	216.00	-	294.00	1,259.70
3.	2013-14	672.20	200.00	-	170.00	1,042.20
4	2014-15	600.00	40.51	-	-	640.51
5	2015-16	827.00	40.00	577.00	-	1,444.00
6	2016-17	323.27	39.49	300.00	671.00	1,333.76
7	2017-18	240.00	5.50	660.00	424.00	1,329.50
8	2018-19	38.13	-	37.78	22.10	98.01
			फेज IV			
9	2018-19	50.00	100.00	-	50.00	200.00
10	2019-20*	150.01	1,123.60	-	50.00	1,323.60
11	2020-21	500.00	-	125.00	125.00	750.00
	कुल	4,900.01	1,981.10	1,699.78	2,100.10	10,680.98

(*) दिल्ली एमआरटीएस फेज–4 परियोजना के लिए (इसमें डीएमआरसी फेज–2 के लिए बकाया इक्विटी के रूप में रुपये 50,000/– शामिल हैं)

4. प्रमुख संकेतकों की उपलब्धि/प्रगति

4.1 मोटर वाहन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31 मार्च 2021 तक सड़कों पर मोटर वाहनों की कुल संख्या 122.53 लाख थी। इसमें पहले की तुलना में 3.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिल्ली में मोटर वाहनों की संख्या में श्रेणीवार वृद्धि विवरणी 12.3 में दर्शायी गई है।

विवरण 12.3
वाहनों की संख्या

		वाहनों की संख्या					
क्र स	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	कार और जीप	29,86,579	31,52,710	32,46,637	32,49,670	33,11,579	33,84,736
2	मोटर साइकिल और स्कूटर/दुपहिया	61,04,070	66,07,879	70,78,428	75,56,002	79,59,753	82,39,550
3	एम्बुलेंस	2,990	3,059	3,220	2,358	2,287	2,289
4	ऑटो रिक्शा (सवारी)	1,98,137	1,05,399	1,13,074	1,13,240	1,14,891	1,14,869
5	टैक्सी	91,073	1,18,308	1,18,060	1,09,780	1,22,476	1,12,401
6	बसें	34,365	35,206	35,285	32,218	33,302	33,294
7	अन्य सवारी वाहन	6,368	59,759	76,231	81,422	85,477	91,887
8	ट्रैक्टर, सामान ढुलाई वाहन (सभी प्रकार के) अन्य	2,81,159	3,00,437	3,15,080	2,46,861	2,63,112	2,74,324
	कुल	97,04,741	1,03,82,757	1,09,86,015	1,13,91,551	1,18,92,877	1,22,53,350*

**पंजीकृत वाहनों की संख्या, एनओसी, आरसी रद्द किए जाने, सरेंडर किए वाहन, पंजीकरण रद्द वाहन और हटा दिए गए वाहनों के अलावा हैं (वाहन 4.0 डेटाबेस में रिकार्ड उपलब्ध है)।*

चार्ट 12.1
दिल्ली में वाहन वृद्धि

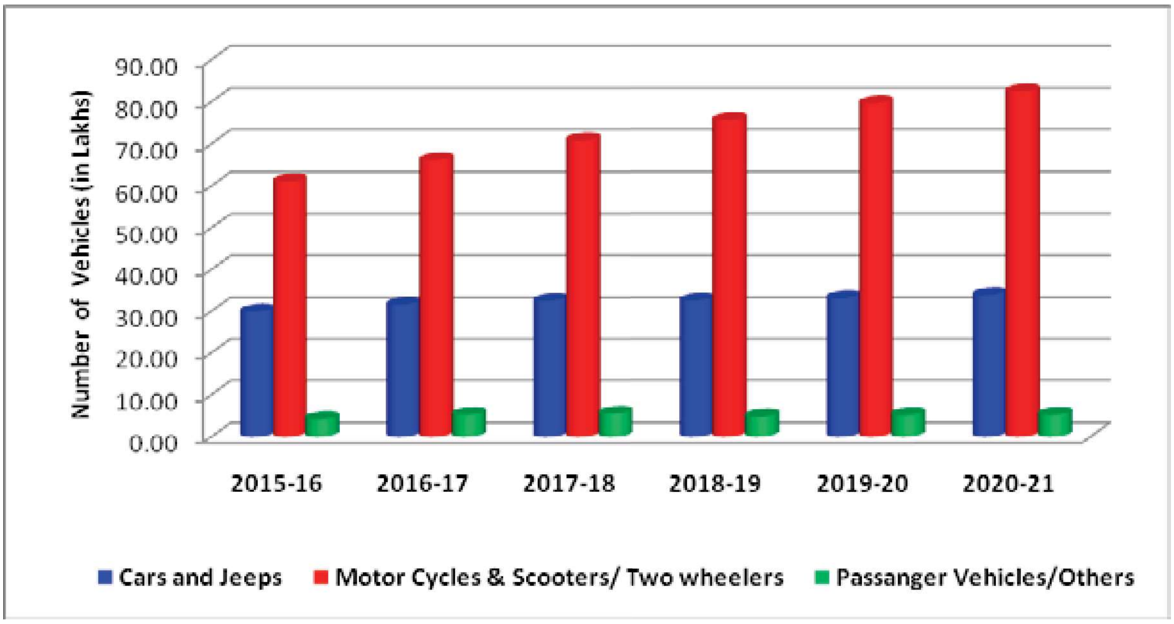

- दिल्ली में वाहनों की वार्षिक वृद्धि दर 2005–06 के 8.13 प्रतिशत से घट कर 2021–21 में 3.03 शून्य प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि के दौरान प्रति 1000 की आबादी पर वाहनों की संख्या 317 से बढ़ कर 665 हो गई। वार्षिक वृद्धि दर से संबंधित ब्यौरा विवरण 12.4 में दिया गया है।

विवरण 12.4

प्रति 1000 की आबादी पर वाहन वृद्धि

क्रम सं.	वर्ष	वाहन		वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	प्रति 1000 जनसंख्या पर वाहनों की संख्या
		संख्या	बढ़ोतरी		
1	2005-06	4830136	362982	8.13	317
2	2006-07	5232426	402290	8.33	337
3	2007-08	5627384	394958	7.55	356
4	2008-09	6026561	399177	7.09	374
5	2009-10	6466713	440152	7.30	393
6	2010-11	6947536	480823	7.44	415
7	2011-12	7452985	505449	7.27	436
8	2012-13	7785608	332783	4.46	446
9	2013-14	8258284	472676	6.07	465
10	2014-15	8827431	569147	6.89	491
11	2015-16	9704741	877310	9.94	530
12	2016-17	10382757	678016	6.99	556
13	2017-18	10986015	603258	5.81	598
14	2018-19	11391551	405536	3.69	616
15	2019-20	11892877	501326	4.40	643
16	2020-21	1,22,53,350	3,60,473	3.03	655

चार्ट 12.2

परिवहन प्रवृत्तियां

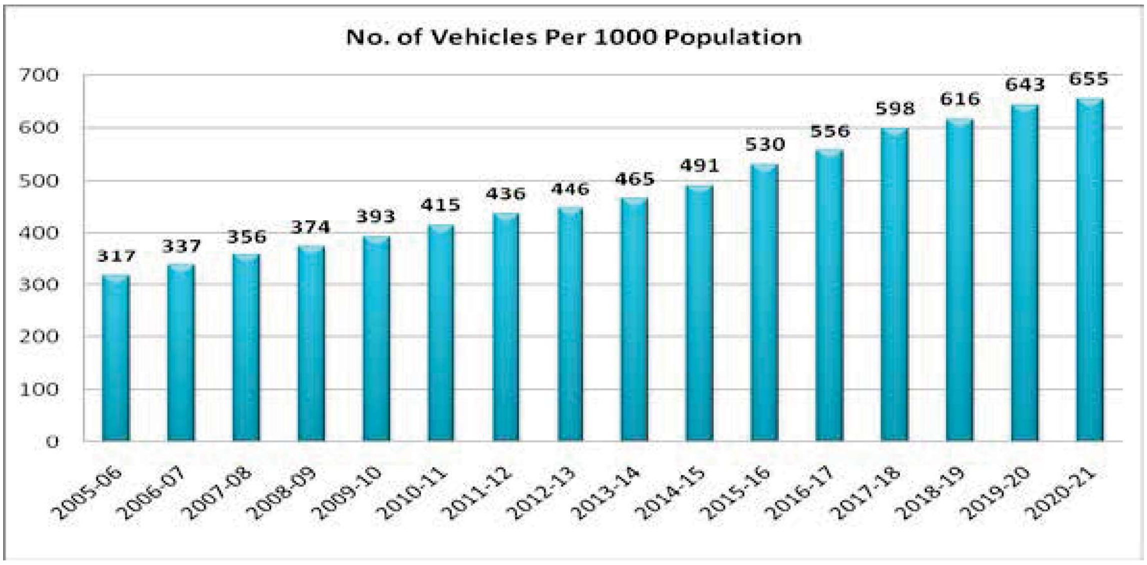

- दिल्ली भारत में निजी मोटरवाहनों का केंद्र है। दिल्ली में कुल मोटरचालित वाहनों की संख्या 122. 53 लाख है। कुल पंजीकृत मोटरवाहनों में 28 प्रतिशत से अधिक संख्या कारों और जीपों की है, जबकि कुल पंजीकृत वाहनों में करीब 67 प्रतिशत दुपहिया वाहन हैं। दिल्ली में 2020–21 के दौरान मोटर वाहनों का प्रतिशत चार्ट 12.3 में प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 12.5

श्रेणीवार वाहनों की संख्या और प्रतिशत

क्र सं	विवरण	वाहनों की संख्या	
		2020-21	प्रतिशत
1	कार और जीप	33,84,736	27.62
2	मोटर साइकल और स्कूटर (दुपहिया)	82,39,550	67.24
3	एम्बुलेंस	2,289	0.02
4	आटो रिक्शा	1,14,869	0.94
5	टैक्सी	1,12,401	0.92
6	बस	33,294	0.27
7	अन्य सवारी वाहन	91,887	0.75
8	ट्रैक्टर, सामान ढुलाई वाहन (सभी प्रकार के) और अन्य	2,74,324	2.24
	कुल	**1,22,53,350**	**100**

चार्ट 12.3

वाहनों की संख्या (2020–21) का प्रतिशत

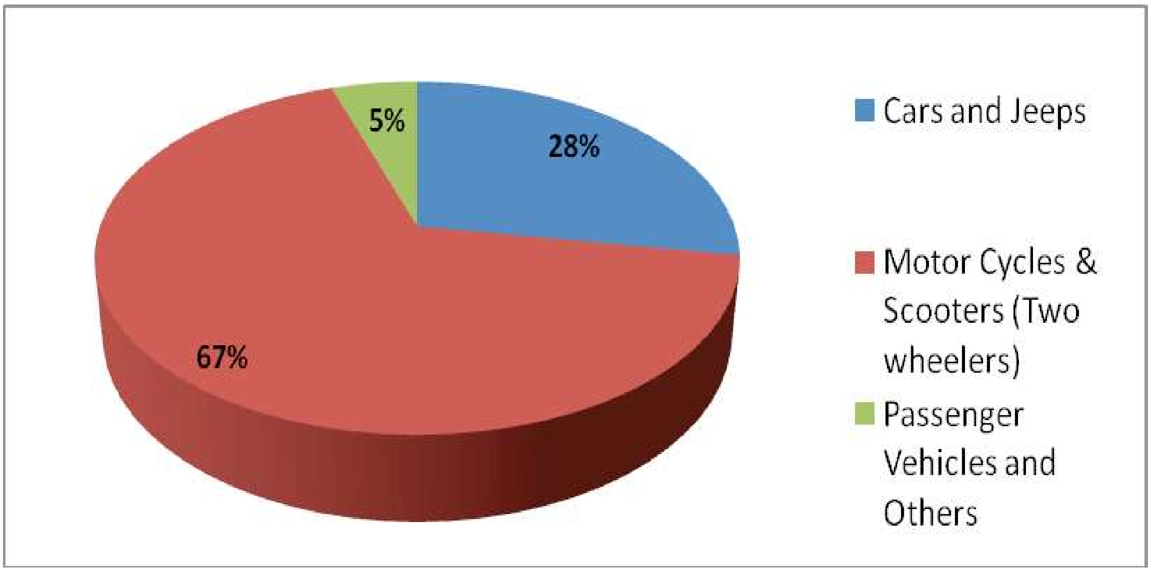

- दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की वास्तविक संख्या को लेकर कई विरोधाभास हैं। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में से बड़ी संख्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रही हैं। इसी प्रकार एनसीआर में पंजीकृत वाहन दिल्ली में चल रहे हैं।

- परिवहन विभाग दिल्ली में वाहनों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के प्रयास कर रहा है। इसके लिए ऐसे वाहनों को भी हिसाब में लिया जा रहा है जो किसी वजह से चलने योग्य नहीं है और अन्य राज्यों से दिल्ली में आये हैं या दिल्ली से अन्य राज्यों में चले गये हैं।

4.2 दिल्ली मेट्रो रेल निगम

कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन से पहले, दिल्ली मेट्रो के औसत दैनिक यात्री लगभग 57 लाख (एयरपोर्ट लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम सहित) थे। सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण, औसत दैनिक यात्री यात्रा प्रभावित हुई है और जुलाई 2021 से सितंबर 2021 की तिमाही के दौरान दर्ज किए गए औसत दैनिक यात्री 23.34 लाख हैं। दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें सुबह 6:00 बजे से रात के करीब 11:00 बजे तक चलती हैं। ट्रेन की आवृत्ति पीक समय में 2 मिनट 44 सेकंड से लेकर गैर–पीक घंटों में 10 मिनट तक होती है। वर्ष–वार औसत दैनिक यात्रा के बारे में सूचना विवरण 12.6 में दी गई है।

विवरण 12.6
एमटीआरएस फेज–3 कॉरीडोर
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा एमआरटीएस फेज–3 और फेस–4 के लिए वर्षवार जारी राशि

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	यात्रियों की संख्या	प्रचालन मार्ग (कि.मी.)	डिब्बे (कारों की संख्या)
2007-08	6,25,000	64.750	280
2008-09	7,22,000	73.990	280
2009-10	9,19,000	95.260	376
2010-11	12,59,000	159.471	844
2011-12	16,60,000	165.142	1,022
2012-13	19,26,000	165.142	1,094
2013-14*	22,04,908	188.050	1,282
2014-15*	24,02,850	191.120	1,306
2015-16*	26,15,050	209.970	1,392
2016-17*	28,00,792	209.970	1,468
2017-18*	25,87,271	249.460	1,888
2018-19*	25,93,090	342.070	2188
2019-20**	27,80,000***	359.230	2,242
2020-21** (07.09.2020 – 31.03.2021)	8,78,000***	359.230	2,280

**एयरपोर्ट लाइन सहित। डीएमआरसी ने 30.06.2013 को कार्य प्रचालन समय की समाप्ति से परिचालन अपने हाथ में ले लिया है।*

***रैपिड मेट्रो सहित। डीएमआरसी ने 22.10.2019 को प्रचालन संभाला।*

****यात्री यात्रा (यात्री यात्रा किसी यात्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले गलियारों की संख्या के संदर्भ में मेट्रो यात्रा की गणना करती है।)*

चार्ट 12.4

दिल्ली मेट्रो और बसों द्वारा की औसत दैनिक यात्रा

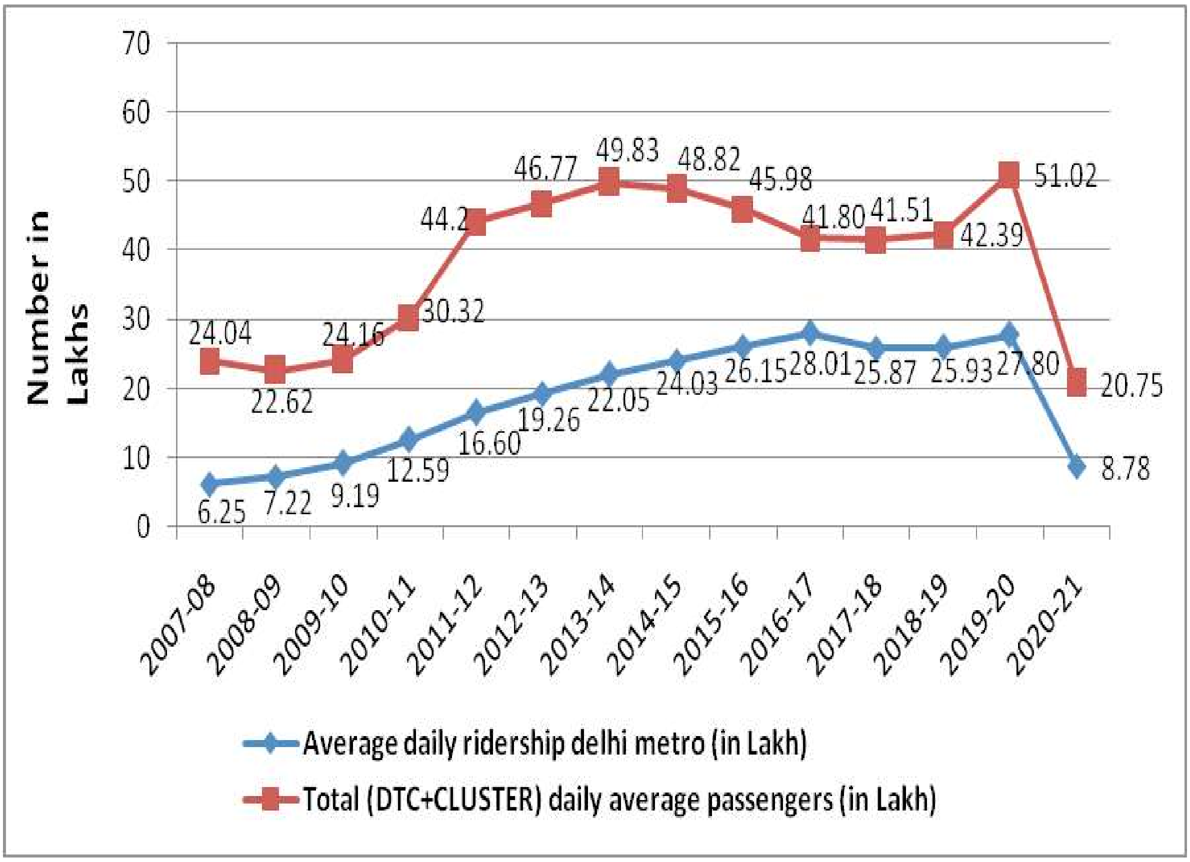

4.3 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों का कार्य निष्पादन

दिल्ली परिवहन निगम एनसीआर में सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन निकाय है। दिल्ली परिवहन निगम शहरी के 453 मार्गों और एनसीआर के 7 मार्गों पर 3760 बसे प्रचालित करता है। डीटीसी बसों में दैनिक औसत यात्रियों की संख्या 2020–21 के दौरान करीब 12.24 लाख रही। डीटीसी बसों में इलेक्ट्रोनिक टिकेटिंग मशीन (ईटीएम) आधारित किराया सग्रह प्रणाली (एएफसीएस) पूरी तरह कार्यान्वित की गयी है। डीटीसी का कार्य निष्पादन विवरण 12.7 में और उसकी गतिविधि–वार स्थिति विवरण 12.8 में दर्शायी गयी है।

विवरण 12.7
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का कार्य निष्पादन

क्र.स.	वर्ष	बेड़ा (संख्या में)	बेड़े का उपयोग (प्रतिशत में)	वाहन उपयोग (कि.मी./बय/दिन)	लोड फेक्टर (प्रतिशत में)	प्रतिदिन यात्री सफर (संख्या में)	दैनिक औसत यात्री (लाख में)
1	2005-06	3,469	90.51	226	74.42	973	30.52
2	2006-07	3,444	81.47	199	77.18	951	26.77
3	2007-08	3,537	82.47	177	87.82	848	24.04
4	2008-09	3,804	77.03	171	68.83	772	22.62
5	2009-10	4,725	80.99	184	69.84	776	24.16
6	2010-11	6,204	75.03	185	71.43	700	30.32
7	2011-12	5,892	84.27	199	77.75	863	44.20
8	2012-13	5,445	85.77	202	92.90	973	46.77
9	2013-14	5,223	85.51	190	86.63	952	43.47
10	2014-15	4,712	83.99	188	85.02	930	38.87
11	2015-16	4,352	83.63	191	82.00	927	35.37
12	2016-17	4,027	85. 12	199	81. 36	890	31. 55
13	2017-18	3,951	85.69	191	83.83	878	29.86
14	2018-19	3,849	84.62	195	81.34	915	30.15
15	2019-20	3,762	85.04	193	86.17	1,033	33.31
16	2020-21	3,760	76.95	180	22.97	423	12.24

स्रोत:डीटीसी के प्रचालन संबंधी आंकड़े

विवरण 12.8
दिल्ली परिवहन निगम की गतिविधियां: 2017–18 से 2020–21

क्र.स.	विवरण	प्रकार	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	बेड़े में बसों की कुल संख्या (अविध के अंत में)	गैर वातानुकूलित	2506	2506	2505	2504
		वातानुकूलित	1275	1275	1257	1256
		मानक	170	68	-	
		कुल	3951	3849	3762	3760
2	सड़क पर बसें (दैनिक औसम)	गैर वातानुकूलित	2232	2197	2149	1963
		वातानुकूलित	1078	1071	1073	931
		मानक	92	27	-	-
		कुल	3402	3295	3222	2894
3	यात्री (करोड़ में)	गैर वातानुकूलित	84.86	84.96	85.66	31.41
		वातानुकूलित	21.77	24.35	36.16	13.27
		मानक	2.35	0.74	-	-
		कुल	108.98	110.15	121.82	44.68
4	दैनिक औसत यात्री (लाख में)	गैर वातानुकूलित	23.25	23.28	23.4	8.6
		वातानुकूलित	5.97	6.67	9.88	3.64
		मानक	0.64	0.2	-	-
		कुल	29.86	30.15	33.29	12.24
5	प्रचालित किलोमीटर (करोड़ में)	गैर वातानुकूलित	15.78	15.68	14.96	12.3
		वातानुकूलित	7.41	7.57	7.76	6.69
		मानक	0.54	0.15	-	-
		कुल	23.73	23.4	22.72	18.99
6	प्रचालित किलोमीटर की दैनिक औसत (लाख में)	गैर वातानुकूलित	4.32	4.3	4.09	3.37
		वातानुकूलित	2.03	2.07	2.12	1.83
		मानक	0.15	0.04	-	--
		कुल	6.5	6.41	6.21	5.2
7	प्रति 10000 बसों पर ब्रेक डाउन	गैर वातानुकूलित	713	710	806	472
		वातानुकूलित	923	898	1029	627
		मानक	730	735	-	-
		कुल	780	781	880	522
8	दुर्घटनाएं	गैर वातानुकूलित	75	79	83	55
		वातानुकूलित	43	45	35	12
		मानक	3	1	-	-
		कुल	121	125	118	67
9	अंतर–राज्यीय बस मार्ग सेवा		8	8	7	7
10	डीटीसी वर्क शॉप		2	2	2	1
11	डीटीसी डिपो		39	39	35	35

सरकार विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि श्रेणियों में डीटीसी और कलस्ट्रर बसों में विभिन्न प्रकार की रियायतें प्रदान करती है। रियायत राशि का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। राराक्षे दिल्ली सरकार ने 2020–21 के दौरान रियायती पासों के लिए 78.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

4.4 क्लस्टर बसों का कार्य निष्पादन

क्लस्टर बसें : रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने ब्लू लाइन प्राइवेट स्टेज कैरिएज सिस्टम को प्रतिस्थापित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर प्राइवेट स्टेज कैरिएज सर्विस के निगमीकरण के लिए 2011–12 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत दिल्ली की 657 बस रूटों को 17 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। वर्तमान में रा.रा.क्षे दिल्ली में 14 समूहों के तहत 3033 क्लस्टर बसें परिचालन में हैं। स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली (एएफसीएस) पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन क्लस्टर बसों में पूरी तरह क्रियान्वित की गई हैं। परिवहन विभाग ने 4 बस डिपो में 05.08.2021 से 497 क्लस्टर बसों में संपर्क रहित मोबाइल टिकेटिंग प्रणाली ट्रायल के तौर पर शुरू की थी। 01.03.2021 से इसका विस्तार सभी क्लस्टर बसों में किया गया है। क्लस्टर बसों के कार्य निष्पादन की जानकारी नीचे दी गयी है।

विवरण 12.9

क्लस्टर बसों का कार्य निष्पादन

क्र सं	वर्ष	बेड़ा (संख्या)	बेड़ा उपयोग (प्रतिशत में)	वाहन उपयोग (किमी/प्रति बस/ प्रतिदिन)	लोड फैक्टर* (प्रतिशत में)	प्रतिदिन प्रति बस यात्रियों की संख्या	प्रतिदिन औसत यात्रियों की संख्या (लाख में)
1.	2013-14	1,090	93.49	218.43	81	950	6.36
2.	2014-15	1,402	97.30	217.61	78	899	9.95
3.	2015-16	1,490	98.84	214.52	74	831	10.61
4.	2016-17	1,651	98.10	210.02	78	755	10.25
5.	2017-18	1744	97.16	205.15	81	753	11.65
6.	2018-19	1,803	98.66	211.02	88	760	12.24
7.	2019-20	2,910	96.48	202.10	89	841	17.71
8.	2020-21	3,191	98.88	214.05	67	308	8.51

**लोड फैक्टर की गणना केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) के फार्मूले पर की जाती है।*
स्रोत : डीआईएमटीएस लिमिटेड

5. सड़क सुरक्षा उपाय

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सड़क सुरक्षा और अन्य उपायों के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा अभियान जैसी विभिन्न पहल कर रही है।

- **राज्य सड़क सुरक्षा परिषद** : दिल्ली राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन वर्ष 2005 में आयुक्त (परिवहन) की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन, सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के निर्देशों पर रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने 7 जुलाई 2017 को माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया। इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों, बिना मोटर वाले वाहन और सड़क का उपयोग करने वालों की सुरक्षा तथा तकनीकी मानकों पर इंजीनियरिंग और री–इंजीनियरिंग, मरम्मत इत्यादि कार्यों की रूपरेखा तय करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने की राजनीतिक प्रतिबद्धता लाना है।

- **जिला सड़क सुरक्षा समितियां** : रा.रा.क्षे. दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों में दिनांक 17.06.2014 की अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियां भी गठित की गई हैं। सभी संबंधित जिलों के पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त (यातायात), अधीक्षण अभियंता (पीडब्ल्यूडी) अधीक्षण अभियंता (एमसीडी/एनडीएमसी), अधीक्षण अभियंता (डीडीए), अपर सीडीएमओ (स्वास्थ्य), उप निदेशक (शिक्षा), और मोटर वाहन लाइसेंसिंग अधिकारी (परिवहन) इस समिति के सदस्य हैं। सभी संबंधित जिलों के अपर जिला मजिस्ट्रेट समिति के संयोजक/सदस्य हैं। जिला सड़क सुरक्षा समितियां जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा उपायों से संबंधित गतिविधियां चला रही हैं।

- **सड़क सुरक्षा नीति** : दिल्ली सड़क सुरक्षा नीति 13 जुलाई 2018 को अधिसूचित की गई है। इस नीति का उद्देश्य पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रा.रा.क्षे दिल्ली में सड़क का उपयोग करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि दीर्घावधि में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या शून्य तक लाई जा सके। सड़क सुरक्षा नीति में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता का प्रसार, संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, सड़क सुरक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना, सुरक्षित सड़क अवसंरचना, सड़कों की योजना और डिजाइन, अधिक सुरक्षित मोटर वाहन, कुशल वाहन चालक, सड़क का उपयोग करने वाले संवेदनशील लोगों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा शिक्षण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।

- 2020–25 के लिए वैश्विक सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट की ब्लूमबर्ग पहल के अगले चरण में भागीदारी के लिए विश्व संसाधन संस्थान के साथ समन्वय से महत्वपूर्ण रणनीतियों के लिए एक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे लक्षित तकनीकी सहयोग, संबंधित एजेंसियों से कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और सड़क का उपयोग करने वालों के व्यवहार के बारे में समय समय पर किए जाने वाले सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रतिभागी शहरों को मिल सकेगी।

- एक मजबूत कार्य योजना साझा करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निगम, आईआईटी–दिल्ली, सीआरआरआई, एसपीए, अनुसंधान संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित सड़क सुरक्षा हितधारकों के साथ 1 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के लिए एक सड़क सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था।

- दिल्ली में यातायात सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए परिवहन नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के बारे में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आईआईटी दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर 01 अक्टूबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।

- आईआरएडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस अनुप्रयोग) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। आईआरएडी परियोजना को पुलिस, परिवहन, और सड़क स्वामित्व एजेंसियों (राजमार्ग/पीडब्ल्यूडी आदि) और स्वास्थ्य जैसे हितधारकों के विभागों के समन्वय से लागू किया जाएगा। एनआईसी/एनआईसीएसएल के साथ समन्वय में परियोजना का उद्देश्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए क्षेत्र से सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित व्यापक डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना है।

5.1 डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना

डीटीसी और क्लस्टर योजना सहित 5499 बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और ऑटोमेटेड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (एवीटीएस) डिवाइस लगाए गए हैं। परन्तु, क्लस्टर योजना के तहत नई खरीदी गई 1380 स्टैंडर्ड फ्लोर और लो फ्लोर बसें पहले से ही इन उपकरणों से लैस हैं।

5.2 डीटीसी की रात्रि बस सेवा (रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक)

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीटीसी अपने बस चालक और अन्य कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर विशेष कार्यक्रम चला रहा है। 27 रूटों पर बसों की संख्या बढ़ा कर 88 कर दी गई है। 30 लेडीज स्पेशल बसें 30 रूटों पर व्यस्त समय में चलाई जा रही हैं। सभी बसों में 25 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं (जैसे लो–फ्लोर बसों में 10 सीट और स्टैंडर्ड फ्लोर बसों बें 12 सीट) वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 का तुलनात्मक ब्यौरा विवरण 12.10 में दिया गया है।

विवरण 12.10
डीटीसी बसों की कार्य कुशलता

विवरण	2019-20	2020-21
रात्रि सेवा बसों की संख्या	88	88
रात्रि सेवा रूटों की संख्या	27	27
सिविल डिफेंस और होमगार्ड की संख्या	7,835	9,286 (31.10.2021)
लेडीज स्पेशल बसों की संख्या	30	30
सीटों का प्रतिशत	25	25

5.3 बसों में मार्शल की तैनाती

रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने 29.10.2019 से सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में दोनों पारियों में मार्शल तैनात करने का फैसला किया। 31.10.2021 तक डीटीसी बसों में 9286 मार्शल और क्लस्टर बसों में 3368 मार्शल की तैनाती महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई।

6. चालू योजनाएं और नई पहल

6.1 विद्युत वाहन नीति

परिवहन विभाग ने 07 अगस्त. 2020 के अपने आदेश के तहत इलेक्ट्रिक वाहन नीति अधिसूचित की थी। 07.08.2020 से लागू हुई यह नीति तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। नीति निम्नलिखित उपायों के माध्यम से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता को बढ़ावा देने का प्रावधान करती हैरू –

क. खरीद प्रोत्साहन

ख. स्क्रैपिंग प्रोत्साहन

ग. चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना;

नीति के अंतर्गत प्रस्तावित अनेक प्रोत्साहनों के वित्त पोषण के लिए नीति में एक असमापक राज्य इलेक्ट्रोनिक वाहन निधि की स्थापना का प्रावधान है। विभाग 22 अक्टूबर, 2020 से प्रोत्साहन राशि संवितरित कर रहा है। योजना के तहत मार्च, 2021 तक 5640 वाहनों को सब्सिडी प्रदान की गई। मार्च, 2021 तक कुल 20.2 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस योजना के तहत 20.09.2021 तक 9162 वाहनों (ई–रिक्शा सहित) को सब्सिडी प्रदान की गई। 20.09.2021 तक करीब 32.95 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी प्रदान की गई। अक्टूबर 2021 तक कुल 34.31 करोड़ रुपये की सब्सिडी 9633 ई–वाहनों को वितरित की गई। परन्तु, कुल 35.95 करोड़ रुपये की राशि 10,248 ई–वाहनों को वितरित की गई है।

6.1.1 **विद्युत वाहनों (ईवी) का पंजीकरण**: विभाग ने ईवी नीति की शुरुआत से 20.10.2021 तक करीब 22,000 ईवी पंजीकृत किए हैं।

6.1.2 **पब्लिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्यान्वयन:** दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग के उद्यम, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने समूची दिल्ली में 100 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक निविदा जारी की है, जिसके लिए स्थानों/साइटों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। इन साइटों पर 100 किलोवाट तक विद्युत अवसंरचना वृद्धि के लिए एकबारगी व्यय के रूप में 10 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने की योजना है। निविदा आमंत्रित करने का अंतिम नोटिस (एनआईटी) प्रकाशित कर दिया गया है और बोली खोलने की अपेक्षित तिथि 17.11.21 है। परन्तु, एसडीएमसी और एनडीएमसी ने अपनी क्षमता से 119 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें कुल 272 चार्जिंग पॉइंट हैं।

6.1.3. **निजी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना**: रा.रा.क्षे. दिल्ली में ईवी चार्जिंग के लिए 4.50 रुपये प्रति यूनिट की कम दर से बिजली शुल्क लागू है। दिल्ली ईवी नीति के अनुसार, आवासीय/कार्यस्थल

परिसरों में प्रारंभिक 30,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिए 6000/–रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। डिस्काम्स ने निजी परिसरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और प्रोत्साहनों के वितरण के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने और सिंगल विंडो प्रक्रिया बनाने के लिए विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है। हालांकि, निजी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए आवेदन करने के लिए नागरिक पोर्टल 02.11.21 तक तैयार हो जाएगा। अंत में, राज्य में वर्तमान में 28 निजी तौर पर स्थापित चार्जिंग पॉइंट हैं।

6.1.4. **इलेक्ट्रिक ऑटो–रिक्शा** अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने वाहन के संभावित खरीदारों के लिए एक ई–ऑटो मेला का आयोजित किया। इसका उद्देश्य विभाग के इस निर्णय का अनुपालन करने के लिए किया गया था कि 4261 अनिर्दिष्ट परमिट केवल ई–ऑटो के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 33 प्रतिशत ई–ऑटो परमिट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी निर्णय लिया, जिसके अनुसार राज्य के 1406 परमिट महिला चालकों के लिए आरक्षित किए गए। महिलाओं के लिए आरक्षित ऑटो रिक्शा के मामले में, पंजीकृत ई–ऑटो रिक्शा के लिए गुलाबी रंग के ऑटो–रिक्शा के रूप में अनूठी रंग योजना अधिसूचित की गई है। परन्तु, यह योजना ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित की गई है और इसके तहत आवेदनों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ई–ऑटो रिक्शा के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया दिसंबर, 2021 तक पूरी हो जाएगी। विभाग ने 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की योजना के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमि. (सीईएसएल) के साथ भी सहयोग किया है ताकि उनके वन स्टॉप वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा सके, जहां संभावित खरीदार अपना वाहन देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और वित्तपोषण का पता कर सकते हैं।

6.1.5 **ई–रिक्शा द्वारा अंतिम मील कनेक्टिविटी :**

दिल्ली में प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1,033,000 ई–रिक्शा अक्तूबर, 2021 तक दर्ज थे। परंतु, दिल्ली में प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 99,522 ई–रिक्शा पंजीकृत किए गए हैं।

6.1.6 **दिल्ली में विद्युत ऑटो** भी शुरू किए जा रहे हैं और यह निर्णय किया गया है कि इस वर्ष 4,261 ई–ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे।

6.2 विद्युत वाहन कोष

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए बिजली वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। डीजल की बिक्री पर 25 पैसे प्रति लीटर की दर से प्रदूषण उपकर रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही लागू कर दिया गया है। इससे प्राप्त राशि पर्यावरण विभाग के तहत वायु गुणवत्ता कोष में दी जाएगी। इस नीति के जारी होने की तिथि से वायु गुणवत्ता कोष में संग्रहीत 50 प्रतिशत राशि राज्य विद्युत वाहन कोष में मासिक आधार पर स्थानांतरित कर दी जाएगी। वायु गुणवत्ता कोष में 50 प्रतिशत की शेष राशि भी राज्य विद्युत वाहन कोष में दे दी जाएगी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भविष्य में सभी आईसीई वाहन उपयोग करने वालों पर प्रदूषण उपकर लगाएगी। परन्तु, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार में विद्युत वाहन कोष के

लिए अलग से बजट मद की व्यवस्था की गई है और बजट अनुमान 2021–22 में इस मद के तहत 10.22 करोड़ रुपये रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

6.3 विद्युत बसें

राष्ट्रीय विद्युत मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है, जो विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाने और देश में उनके विनिर्माण की रूपरेखा उपलब्ध कराता है। एनईएमएमपी 2020 के हिस्से के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में विद्युत वाहनों के तेजी से अपनाए जाने और विनिर्माण की एक स्कीम – (फेम इंडिया) वर्ष 2015 में तैयार की थी ताकि विद्युत और हाईब्रिड वाहन तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके और इनका सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूरी तरह से विद्युत चालित बसें चलाने का फैसला किया है, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी कम किया जा सकेगा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत डीटीसी को संचालनगत लागत मॉडल पर 300 विद्युत चालित वाहन चलाने के लिए वित्तीय सहयोग देने के वास्ते सक्षम प्राधिकरण की अनुमति उपलब्ध कराई है।

''सार्वजनिक परिवहन में विद्युत बसें शामिल करने के लिए प्रस्ताव और दिल्ली विद्युत वाहन नीति, 2020 के अनुरूप, दिल्ली में विशुद्ध विद्युत बसें अपनाने और बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए रोड मैप का अनुमोदन'' विषय पर कैबिनेट नोट का मसौदा भी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें यह निर्णय किया गया है कि डीटीसी और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत कुल 4,005 ई–बसें शामिल की जाएंगी। यह भी प्रस्ताव है कि अब से आगे नई बसें या स्थानापन्न की जाने वाली बसें ई–बसें ही होंगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डीटीसी के 41 डिपो (जिनमें से तीन पहले ही विद्युतीकृत किए जा चुके हैं) और क्लस्टर स्कीम के 8 डिपो (जिनमें से 2 पहले ही विद्युतीकृत किए जा चुके हैं) विद्युतीकृत किए जाएंगे।
डीटीसी के बेड़े में निम्नांकित बसें तत्काल शामिल करने का प्रस्ताव है :

i) **300 वातानुकूलित लो–फ्लोर विशुद्ध विद्युत डीटीसी बसें** : ओपेक्स मॉडल के तहत फेम–2 स्कीम के अंतर्गत एल–1 बोलीदाता का चयन होने के बाद 30.3.2021 को 300 ई–बसें अनुबंधित किए जाने के लिए एलओए जारी किया गया। बसें अप्रैल 2022 तक शामिल किए जाने की संभावना है।

ii) **330 वातानुकूलित लो–फ्लोर विशुद्ध विद्युत डीटीसी बसें** : बुराड़ी डिपो और रोहिणी सेक्टर–37–2 डिपो में दो क्लस्टरों के अंतर्गत 330 वातानुकूलित लो–फ्लोर विद्युत बसों के लिए निविदा जारी कर दी गई है। प्रस्ताव की तारीख 29.11.2021 है क्योंकि ये बसें जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच शामिल किए जाने की संभावना है।

7 महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा

रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा 29 अक्तूबर 2019 से दी जा रही है। वातानुकूलित और गैर–वातानुकुलित बसों में 10 रुपये मूल्य का एकल

यात्रा पास वर्तमान में गुलाबी रंग के टिकट के रूप में जारी किया जा रहा है। डीटीसी इन पासों को प्रिंट करवा रही है और क्लस्टर बसों के लिए डीआईएमटीएस को दे रही है। डीटीसी और डीआईएमटीएस दोनों इन टिकटों का समुचित हिसाब रख रहे हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान महिला यात्रियों ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की, जिसके लिए डीटीसी को 114.86 करोड़ रुपये और क्लस्टर बसों को 102.18 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए गए।

8 परिवहन सेवाओं के लिए सुधार पैकेज

सभी सार्वजनिक सेवाओं को फेसलेस तरीके से उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। आवेदकों को केवल ड्राइविंग टेस्ट या वाहन की फिटनेस लेने के प्रयोजन से कार्यालय का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके परिणामस्वरूप विभाग का जनता के साथ भौतिक इंटरफेस कम हो गया है।

8.1. **फेसलेस सेवाएं** : वर्तमान में, 47 सेवाएं (12 आरसी सेवाएं, पहले चरण में 17 परमिट और फिटनेस सेवाएं 2 सेवाओं के साथ दूसरे चरण में प्रक्रियाधीन हैं और पहले चरण में 16 डीएल सेवाएं) पूरी तरह से फेसलेस डिलीवरी मोड में बदल दी गई हैं और 5.73 लाख से अधिक आवेदक इस कार्यक्रम से अक्टूबर 2021 तक लाभान्वित हो चुके हैं। शेष सेवाएं भी शीघ्र ही फेसलेस तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी।

8.2. **ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट और ई–लर्नर लाइसेंस जारी करना**: विभाग ने लर्नर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने में सफलता हासिल की है। आवेदक डीटीओ कार्यालयों में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता के बिना किसी भी स्थान से ऑन–लाइन लर्नर लाइसेंस परीक्षा देने में सक्षम है। ऑन लाइन टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद मौके पर ही ई–लर्नर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

8.3. **वाहन डीलरों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अंतरराज्यीय बिक्री के लिए अस्थायी पंजीकरण करने का अधिकार** : परिवहन विभाग ने सुरक्षित लॉग इन क्रेडेंशियल के साथ बिक्री के स्थान पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का प्रायोगिक परीक्षण शुरू कर दिया है। इसके अलावा, वाहन डीलरों को अंतरराज्यीय बिक्री के लिए अस्थायी पंजीकरण करने का भी अधिकार दिया गया है। अब दिल्ली में वाहन खरीदने वाले को वाहन की डिलीवरी के समय ही आरसी मिलेगी।